

FORM NO. III

फर्द अहकाम

नियम 25

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमराना (कोटपूतली-बहरोड)

तहसीलदार नीमराना भूमिधारी राजस्थान सरकार

बनाम

श्री चेतन पुत्र श्री रामकिशन जाति अहीर निवासी मॉढण तह0 मॉढण

किस्म मुकदमा प्रार्थन पत्र 212 आर0टी0एक्ट

मु0न0२४ / 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	<p>17.01.2025 आज यह प्रार्थना पत्र 212 R.T.A. मूल वाद के साथ पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी स्वयं उपस्थित। प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रकरण पृथम दृष्टया बनता है। सुविधा का संतुलन व अपूर्णिय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतित होता है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक अस्थाई निषेधाज्ञा चन्द्रोजा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 1468,1469,1470,1472 वाके ग्राम मॉढण तह0 मॉढण जिला कोटपूतली-बहरोड. (राजस्थान) में मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। क्यौना उक्त आदेश ताफैसला वाद सम्पुष्ट कर दिया जावे। इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो आप स्वयं अथवा जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना जवाब पेश करें। अप्रार्थीगण जरिये रजि0 नोटिस तलवाना से तलब हो। प्रार्थीगण रजि0 तलवाना पेश करे। प्रार्थीगण यदि आगामी तिथि से पूर्व रजि0 नोटिस तलबाना पेश करने में विफल रहता है तो उक्त आदेश अपास्त माना जाएगा। पत्रावली वास्ते रजि0 तलबी दि0 27.02.2025 को पेश हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड)

तारीख हुकम

२७-१०-२५

मात पत्रवली देखा हुका पत्र
 में कुल कांड निर्दिष्ट हो उका
 ही प्रमाण पत्र में मात को
 कार्यवाही कार्यवाही गये है
 आत प्र. पत्र में मात को
 कार्यवाही देखा पत्र इका
 (कार्यवाही देखा है) पत्रवली
 प्रमाण पत्र देखा गये है
 को ही कांड प्रमाण पत्र
 देखा कांड देखा है

अध्यापक (कानून-पत्रवली)
 अंगण (कानून-पत्रवली)